न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री ईश्वरसिंह राठौड

[illegible] 02/15

तारीख रजू– 02/01/2015

[illegible] जाति मीना निवासी ग्राम जोला तहसील चौथ का बरवाडा। -----अपीलार्थी

बनाम

[illegible] तहसीलदार,चौथ का बरवाडा।

------ रेस्पो0

निर्णय

दिनांक– 14/03/15

[illegible] ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब [illegible] का बरवाडा द्वारा मिसल संख्या 690/10 मे पारित आदेश दिनांक 16/09/10 के विरूद्व [illegible] द्वारा अपीलार्थी को ग्राम जोला की आराजी खसरा नम्बर 1127 रकवा 0.35 हेक्टर, [illegible] हेक्टर व 1137 रकवा 0.36 हेक्टर किस्म चरागाह पर संवत 2067 खरीफ मे अनाधिकृत [illegible] कर कब्जा काश्त करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप [illegible] करने के साथ साथ अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास की [illegible] दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

[illegible] होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा [illegible] संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय [illegible] आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण निस्तारण हेतु राष्ट्रीय [illegible] रखा गया।

[illegible] स्वंय उपस्थित हुआ। अपीलार्थी को सुना तो उसने अवगत कराया कि अपीलार्थी [illegible] आराजी खसरा नम्बर 1127 रकवा 0.35 हेक्टर, 1129 रकवा 0.28 हेक्टर व 1137 रकवा [illegible] चरागाह पर से अपना कब्जा हटा लिया है। मोके पर कोई कब्जा काश्त नही है तथा [illegible] आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है तथा उक्त शपथ पत्र मे भविष्य मे अतिक्रमित [illegible] कब्जा नही करूगा का भी उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी ने भविष्य मे [illegible] पर अतिक्रमण नही करने की सहमति भी जताई है।

[illegible] विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे [illegible] का आदेश तो यथावत रखा जाता है तथा सिविल कारावास के बिन्दु पर प्रकरण नायब [illegible] का बरवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे स्वंय मोके पर जाकर [illegible] अपीलार्थी का अतिक्रमित आराजी पर वर्तमान फसल रबि मे कब्जा काश्त रहा है अथवा नही। [illegible] अपीलार्थी का कब्जा काश्त नही हो तो अपीलाधीन निर्णय मे पारित सिविल करावास की [illegible] समझे अन्यथा स्थिति मे सिविल कारावास की सजा का आदेश यथावत रहेगा। [illegible] आज दिनांक 14/03/15 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

14.3.15

(ईश्वर सिंह राठौड)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर